

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/2011/ 1728


दिनांक 16 सितम्बर, 2011

// अधिसूचना //

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में दायर W/P क्रमांक 3578/2011 पारित आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया पत्र क्र जीविव/पीएआर/2011/3506 दिनांक 23 जुलाई, 2011 जिसके द्वारा विश्वविद्यालय सभ कार्यपरिषद् हेतु निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल अगस्त 2012 तक मान्य किया गया था माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर W/P क्रमांक 439/2011 में युग द्वारा प्रदत्त आदेश के परिपालन में एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश विश्ववि अधिनियम 1973 की धारा 20(1)(सी)(उन्नीस) के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों का समाप्त किया जाता है।

भवदीय


(प्रो. आनन्द मिश्रा)
कुलसचिव